न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती संजू शर्मा, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 78/2017 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. नरेश कुमार,
2. सुबेसिंह,
3. लालमन,
4. बलराज पुत्रान मामराज जाति अहीर निवासी ग्राम सीथल,
5. जवाहरलाल पुत्र रामचन्दर,
6. मेहरचन्द पुत्र अमीलाल,
7. शांति,
8. बिमला,
9. शर्मिला पुत्रीयान अमीलाल,
10. श्रीराम पुत्र माडिया,
11. रमेश पुत्र श्रीराम,
12. चमेली पत्नी विजय,
13. पवन,
14. महीपाल पुत्रान विजय,
15. गीता,
16. राज पुत्रीयान विजय,
17. लक्ष्मी पत्नी सोमदत,
18. शिवकुमार पुत्र सोमदत,
19. रविन्द्र पुत्र सोमदत,
20. सुमन पुत्री वेदपाल,
21. नारायण,
22. हरिओम पुत्रान मोहनलाल,
23. सत्यनारायण पुत्र सोहनलाल,
24. चन्द्रकला पत्नी जगमाल,
25. ईश्वर,
26. रामकिशन पुत्रान जगमाल,
27. श्री भगवान पुत्र जगमाल,
28. मुकेश पुत्री जगमाल,
29. रगवीर पुत्र हीरालाल,

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

30. ओमवती पत्नी अतरसिंह,
31. कंवरसिंह,
32. अतरसिंह,
33. भूरासिंह पुत्रान हीरालाल,
34. अनोखी पुत्री हीरालाल,
35. रतिराम,
36. जगदीश,
37. बस्तीराम पुत्रान मूला,
38. धनीराम पुत्र सुण्डा मृतक जरिये वारिसान–
    38/1. लिच्छो पत्नी धनीराम,
    38/2. थावरिया,
    38/3. बुधराम पुत्रान स्व0 धनीराम,
    38/4. नीतू पुत्र स्व0 लाली पुत्री स्व0 श्री धनीराम ।
39. लालसिंह पुत्रान सुण्डा जातियान अहीर निवासीयान ग्राम सीथल तहसील तिजारा जिला अलवर राज0 ।
40. नवीन पुत्र धर्मसिंह,
41. नत्थूराम पुत्र धर्मसिंह,
42. बलबीर पुत्र श्योनारायण,
43. प्रभू पुत्र श्योनारायण,
44. कमला पत्नी श्री नत्थूराम,
45. सावत्री पत्नी राजाराम,
46. नारायणसिंह पुत्र ईशर जाति अहीरान निवासीयान ग्राम सीथल तहसील तिजारा जिला अलवर ।
47. बलजीत पुत्र दौलतराम जाति अहीर निवासी ग्राम चान्दाला डूगरवास – हरियाणा ।
48. कविता पत्नी केशूराम जाति अहीर हाल आबाद त्रेहान थड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर ।

होशियार सिंह पुत्र दयाराम जाति अहीर ग्राम थड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर राज0 ।

.... अपीलांटान

बनाम

1. कलादेवी पत्नी शीशराम जाति अहीर निवासी ग्राम सीथल तहसील तिजारा जिला अलवर राज0 ।

.... असल रेस्पो0

2. अनूपसिंह,
3. कृष्ण कुमार,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

4. हरिराम पुत्रान सोहनलाल,
5. सुरस्ती पत्नी सोहनलाल,
6. इन्दू पुत्री सोहनलाल
7. ओमवती पुत्री सोहनलाल,
8. सरवण पुत्री सुण्डा जाति अहीर निवासीयान ग्राम सीथल तहसील तिजारा जिला अलवर ।
9. गजराज,
10. महीपाल,
11. बिन्टू माता सरती पुत्री सुण्डा पिता मुंशी जाति अहीर निवासी ग्राम गरराकी तहसील पटोदी जिला गुडगॉवा हरियाणा
12. मुकेश पत्नी धनीराम जाति अहीर निवासी ग्राम खानपुर तहसील तिजारा जिला अलवर,
13. कमलेश पत्नी मुकेश कुमार जाति अहीर निवासी बालाजी कॉलोनी फरूखनगर – हरियाणा ।
14. मुकेश पत्नी रामफुल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मिलकपुर गुर्जर तहसील तिजारा जिला अलवर ।
15. रामस्वरूप पुत्र हेतराम जाति गुर्जर,
16. जयराम पुत्र मेहरचन्द जाति गुर्जर साकिन आलमपुर तहसील तिजारा जिला अलवर
17. बनारसी देवी पत्नी सुगनचन्द जाति कुम्हार,
18. विनोद पुत्र सुगनचन्द जाति कुम्हार हाल आबाद सैदपुर,
19. छोटी देवी पत्नी हरपाल जाति गुर्जर साकिन चांदपुरी तहसील थानागाजी जिला अलवर हाल आबाद सैदपुर ।
20. क्यूमशाह पुत्र रहमतशाह जाति फकीर तहसील हुरपुरी जिला बरेली यू.पी.
21. आसमौहम्मद पुत्र खलीलअहद जाति अंसारी साकिन 465/5, चंदन नगर, गुड़गॉवा हरियाणा हाल आबाद सैदपुर तहसील तिजारा जिला अलवर ।
22. हरपाल पुत्र सोहनलाल जाति गुर्जर साकिन चांदपुरी तहसील थानागाजी हाल आबाद ग्राम सैदपुर तहसील तिजारा जिला अलवर ।
23. सविता पत्नी युधिष्टर,
24. ज्योति पुत्री युधिष्टर जाति अहीरान निवासीयान ग्राम सीथल तहसील तिजारा जिला अलवर ।
25. आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा भिवाड़ी जिला अलवर ।
26. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा टपूकड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक टपूकड़ा,
27. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा ढाबा काम्प्लैक्श भिवाड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक भिवाड़ी,
28. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा यू.आई.टी. भिवाड़ी जरिये प्रबन्धक भिवाड़ी तहसील तिजारा जिला अलवर ।
29. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मिलकपुर गुर्जर जरिये शाखा प्रबन्धक मिलकपुर गुर्जर तहसील तिजारा ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

की आराजी को हड़प करने की नियत से दावा प्रस्तुत किया गया था । इस प्रकार विवादित आराजी मौके पर बंटी हुई है व मौके व कब्जे के अनुसार कुरेजात बनाकर खाता अलग कर दिया जावें तो कोई ऐतराज नहीं है लेकिन तहत न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुने ही कैम्प कोर्ट ग्राम थड़ा में बिना सूचना दिये ही प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी । इसके अलावा उक्त विवादित आराजी के संबंध में एक अन्य राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी तिजारा बउनवान भूरासिंह वगैरा बनाम आनन्द कुमार वगैरा जो एक तरफा में दि0 6.12.2013 को डिक्री किया गया था जिस दावा में वादनी असल रेस्पो0 पक्षकार थी जिस एक तरफा डिक्री को निरस्त कराये जाने के लिए प्रतिवादी सं0 12, 17, 22 ल0 27, 48, 49 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो तहत न्यायालय द्वारा दि0 5.2.2014 को स्वीकार किया जाकर निर्णय दि0 6.12.2013 को निरस्त कर दिया गया जिस निर्णय के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील किये जाने पर उन्होंने अपने निर्णय दि0 10.3.2014 के द्वारा आदेश दि0 5.2.2014 को निरस्त करते हुए निर्णय व डिक्री दि0 6.12.2013 को यथावत रखा गया साथ ही निर्देश दिये कि जिस पक्षकार को भी ऐतराजात हो वह अंतिम निर्णय के समय तहसीलदार से कुरेजात प्राप्त होने पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं जिस आदेश के खिलाफ अपीलांट के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दि0 18.9.2015 को दि0 5.2.2014 का आदेश निरस्त कर दि0 6.12.2013 का निर्णय यथावत रखा गया जिस निर्णय दि0 18.9.2015 के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में अपील किये जाने पर राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय दि0 18.9.2015 निरस्त करते हुए उपखण्ड अधिकारी का आदेश दि0 5.12.2014 को यथावत रखा गया । इस प्रकार निर्णय दि0 6.12.2012 का कोई अस्तित्व नहीं रहा जो दावा दि0 3.6.2016 को प्रस्तुत किया गया वह गलत है तथा रेस्ज्यूडिकेटा में आने के कारण मैन्टेनेबल नहीं था । कैम्प कोर्ट द्वारा सभी पक्षकार अपीलांटान को कोई नोटिस जारी नहीं किया ना ही उन्हें सुना गया । कुछ पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया उनमें से जो उपस्थित हुए ने निवेदन किया कि जमाबन्दी के अनुसार जो रकबा पक्षकारों के हिस्से में आता है उस हिस्से पर मौके पर बंटवारा के अनुसार काबिज है उसके अनुसार ही कुरेजात तैयार कर खातेदारी दर्ज की जावें । तहत न्यायालय के द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री के रहने से अपीलांट के हक हकूक जायल होते हैं क्योंकि मौके पर विवादित आराजी पक्षकारान द्वारा बांटी हुई है एवं अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं लेकिन असल रेस्पो0 उक्त डिक्री की आड़ में हम अपीलांट को अपने हिस्से की आराजी से बेदखल करने पर उतारू हैं । इसलिए तहत न्यायालय की प्रारम्भिक डिक्री को निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

विद्वान अभिभाषक कैवियटर/ असल रेस्पो0 ने बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है जिस पर शामलात में ही काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा वादीगण/असल रेस्पो0 विवादित आराजीयात पर अपने जमाबन्दी मुताबिक हिस्से पर काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं जो कि शामलात में ही काबिज काश्त हैं तथा अबट आराजीयात है । पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी बाबत आज तक किसी प्रकार का तकासमा नहीं हुआ है । इसलिए तहत न्यायालय ने जो प्रारम्भिक डिक्री पारित की है,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

वह सही है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । यह प्रकरण प्रारम्भिक डिक्री का है । चूंकि प्रकरण लोक अदालत की भावना से किया गया है तथा प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है किन्तु कुरेजात रिपोर्ट आने से पूर्व अपील किये जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि वादी अपने इन्द्राज के सन्दर्भ में शंकित है । इसलिए प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के निर्णय दिनांक 8.5.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा मौके व कब्जे के अनुसार कुरेजात कायमी की प्रार्थना की गई है । इसलिए तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर सभी पक्षकारान की उपस्थिति में प्रार्थी के उज्र पर मौका, रेकार्ड एवं विवेकानुसार निर्णय पारित करें । तत्पश्चात् अंतिम डिक्री पारित की जावें । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

Scanned by CamScanner